

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा
जिला रीवा (म.प्र.)



न्यायालय रीवा 23/6/18
न्यायालय रीवा 23/6/18
स्तुत! प्रारम्भिक तर्क हेतु
दिनांक 28-6-18 दिवस।
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

अशोक प्रताप सिंह तनय केशव प्रताप सिंह
उदयभान सिंह तनय केशव प्रताप सिंह निगरानी-3825/2018/सीधी/भूर
नारेन्द्र प्रताप सिंह तनय केशव प्रताप सिंह
मंगलेश्वर प्रताप सिंह तनय केशव प्रताप सिंह

- 5- रामराज सिंह तनय केशव प्रताप सिंह
6- बृजेश सिंह तनय अखण्ड प्रताप सिंह
7- पुष्पेन्द्र सिंह तनय अखण्ड प्रताप सिंह
8- शांती सिंह पत्नी अखण्ड प्रताप सिंह

सभी निवासी ग्राम अमहा, तहसील गोपदबनास,
जिला-सीधी (म.प्र.)

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

आदित्य प्रताप सिंह तनय केशव प्रताप सिंह निवासी ग्राम
अमहा, तहसील गोपदबनास, जिला-सीधी (म.प्र.)

.....गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय
अधिकारी महोदय तहसील गोपदबनास सीधी
जिला सीधी (म.प्र.) के राजस्व प्रकरण क.
-240/अपील/2016-17 आदित्य प्रताप सिंह
बनाम बृजेश सिंह व अन्य में पारित आदेश
दिनांक 04.06.2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भूर.सं.
1959ई.

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में.

- 1- यह कि निगरानीकर्तागण एवं गैरनिगरानीकर्ता एक ही
परिवार के सदस्य है तथा एक ही मूल पुरुष केशव सिंह
के वारिस हैं।

(Signature)

(Signature)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक 38257/2018/2019

जिला श्रीधर

अशोक प्रताप सिंह विरुद्ध श्रीधर प्रताप सिंह

17-1-19

1. आवेदक की ओर से श्री. भा. प्र. सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील गोपदबनारस के प्रकरण क्रमांक 24.01.2017/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 04-06-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर श्रीधर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-3-2019 को कलेक्टर श्रीधर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

सदस्य

AK

नगरपालिका निगरानीकर्तागण एवं गैरनिगरानीकर्ता एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा एक ही मूल पुरुष केशव सिंह के वारिस हैं।

Baepuf

RV